

5/11

अनुदान संख्या-79  
13 अंकों का कोड-2225030010300  
अधिष्ठान व्यय हेतु आबंटन 2017-18

प्रेषक,

निदेशक,  
पिछड़ा वर्ग कल्याण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी /,  
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,

सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, आगरा, मेनपुरी, एटा, बिजनौर, बदायूँ, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, रामपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर नगर, फतेहपुर, इलाहाबाद, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, देवरिया, लखनऊ कलेक्ट्रेट, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, गाजियाबाद, कानपुर देहात, मऊ, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, महाराजगंज, कुशीनगर, अम्बेडकर नगर, गौतमबुद्ध नगर, संतकबीर नगर, औरैया, कौशाम्बी, बागपत, कन्नौज, अमरोहा, चित्रकूट, अमेठी, हापुड, शामली एवं सम्मल (59 जनपद)

पत्रांक / 009-डीबीए / 2706 / पि0व0क0 / अधि0आवं0 / 2017-18 लखनऊ:दिनांक: 09, मार्च, 2018

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या 79 के लेखाशीर्षक: '2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-मुख्यालय/मण्डलीय/जिला कार्यालयों का अधिष्ठान' मदों के व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में अधिष्ठान मद में शासन के आदेश संख्या-08/2017/652/64-2-2017-1(01)/2017 दिनांक 14 अगस्त, 2017 द्वारा एवं प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा पारित आदेश संख्या-03/2018/29/64-2-2018-1(01)/2017, दिनांक 23 जनवरी, 2018 के माध्यम से प्राप्त धनराशि रू0 47.00 लाख को जोड़कर अन्तिम रूप से व्यवस्थित धनराशि रू0 1872.39 लाख (रू0 अठठारह करोड़ बहत्तर लाख बहत्तर उन्तालिस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से संलग्न विवरण के अनुसार **जनपदीय कार्यालयों** को व्यय हेतु रू0 68,31,569.00 (रूपया अरसठ लाख इकतीस हजार पांच सौ उनहत्तर मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवम् प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती है:-

- 1- स्वीकृत धनराशि का आहरण एवम् व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 01/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं शासनादेश संख्या- संख्या-03/ 2017/बी-1-248/दस-2017-231/2017 दिनांक 20 मार्च, 2017 में दी गयी शर्तों/दिशा निर्देशों को पूर्णतया ध्यान में रखते हुए तथा उसमें उल्लिखित संगत शर्तों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्षक '2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण- 001- निदेशन तथा प्रशासन-03- मुख्यालय/ मण्डलीय/जिला कार्यालय' के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
- 3- आवंटित धनराशि का व्यय प्रत्येक दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष तक सुनिश्चित किया जाये। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिए संबन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
- 4- आवंटित धनराशि का व्यय किसी ऐसे मद में कदापि न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त-पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति आवश्यक है। ऐसे व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये। आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय एवं व्यय आवंटित धनराशि तक ही सीमित रखा जाये।
- 5- समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी आदेशों का पालन विशेष रूप से किया जाय। यह उल्लेखनीय है कि शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितांत आवश्यक है। अतः यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय एवं मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद की मदों के अन्तर्गत व्यय करते समय मितव्ययिता किये जाने के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों को सम्मिलित करते हुए वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्या : 2163/10सचि0/(1)/91, दिनांक 10-12-1991 में उल्लिखित निर्णयों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये। कृपया इन मदों में बचत एवं उपभोग की सूचना यथासमय उपलब्ध कराना होगा।
- 6- कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह की 10 तारीख तक, बी0एम0-8 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय। इस विवरण में कोषागार बाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।
- 7- आहरण वितरण अधिकारी को अगली बार बजट तभी आवंटित किया जायेगा जब उपर्युक्तानुसार बी0एम0-8 में सूचना प्राप्त हो जायेगी।

- 8- आबंटित धनराशि का व्यय आपके कार्यालय में स्वीकृत कर्मियों की संख्या के अनुसार ही किया जायेगा।
- 9- यदि बी0एम0-8 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई घटना होने पर संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- 10- यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जाती है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण-पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।
- 11- एक बार धनराशि समर्पित कर दिये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जा सकेगा। समर्पण के बाद बिना अनुमति के यदि कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है, तो इसके लिए आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
- 12- कोषागार से आहरित धनराशि का नियमानुसार पूरा लेखाजोखा रखना अनिवार्य होगा।
- 13- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही सम्पूर्ण, मुख्य, उप-मुख्य, लघु एवं विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में अंकन में बाधा न हो।
- 14- बजट की किसी ऐसी प्राथमिक इकाई या लेखाशीर्षक के सापेक्ष व्यय न किया जाय, जिसके लिए बजट में प्राविधान नहीं है।
- 15- संविदा पर कार्यरत कर्मियों के पारिश्रमिक का भुगतान मद संख्या-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान मद में आवंटित धनराशि से किया जायेगा।
- 16- आबंटित धनराशि का व्यय प्रत्येक दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष तक सुनिश्चित किया जाये। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिए संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। 49-चिकित्सा व्यय मद की धनराशि का आहरण वेतनादि (01,03,06) की मदों से अग्रिम आदेशों तक न किया जाय।
- 17- पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर के 50 प्रतिशत की धनराशि की मांग मानक मद "52-पुनरीक्षित वेतनमान का अवशेष" (राजकीय) में पृथक से की जाय तथा वेतनादि मदों से एरियर की धनराशि न आहरित की जाय।
- 18- जनपदों को आवंटित बजट से मण्डलों का तथा मण्डलों को आवंटित बजट से जनपदों का व्यय कदापि न किया जाय।
- 19- कतिपय मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था कर आवंटित की गई है। अतः यदि धनराशि समर्पित की जाती है, तो यह संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी तथा बाध्य होकर उनके विरुद्ध कार्यवाही भी की जायेगी।
- 20- व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथियों तक इस कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।
  - 1- व्ययाधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 31.03.2018 तक।
  - 2- वर्ष 2017-18 में समर्पण यदि कोई हो, की सूचना दिनांक 15.03.2018 तक।
 प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 02 पर अंकित है।

संलग्नक: यथोक्त।



( सुषमा रानी )  
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

भवदीय,



( अनिल कुमार सागर )  
निदेशक

पृ0सं0: 008-डी0बी0ए0 / 2706 / पि0व0क0 / अधि0आवं0 / 2017-18  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

तद्दिनांक

- 1- प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनु0-2
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 3- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।



( सुषमा रानी )  
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

**Allotment Grid Report**

वित्तीय वर्ष:-2017-2018  
आवंटन दिनांक-09/03/2018

प्रेषण संख्या:-  
आवंटन आदेश संख्या:- 007-DBA

अनुदान संख्या:- 79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)(वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण(आयोजनेत्तर-मतदेय)

03 - पिछड़े वर्गों का कल्याण  
001 - निदेशन तथा प्रशासन  
03 - मुख्यालय/मंडलीय/जिला कार्यालय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		04-यात्रा व्यय	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	09-विद्युत देय	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	49-चिकित्सा व्यय	योग
1	सहारनपुर-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	0 40000	0 19884	10000 50000	0 25000	40550 231050	9700 9700	0 80000	44374 44374	104624 500008
2	मुज़फ्फर नगर-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	8000 13000	0 0	63000 88000	2000 30000	27271 196771	0 0	5000 85000	0 0	105271 412771
3	मेरठ-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000 20000	0 8000	30000 30000	2000 25000	27271 217771	0 0	5000 85000	0 0	69271 385771
4	बुलन्दशहर-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	900 900	50000 50000	35796 35796	2000 10000	27271 196771	285055 285055	5000 65000	0 0	406022 643522
5	आगरा-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	0 10000	25000 28000	0 36000	0 13000	0 190500	0 129100	0 60000	0 0	25000 466600
6	मैनपुरी-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	0 20000	0 0	10000 10000	0 8000	0 169500	0 0	0 60000	0 0	10000 267500
7	एटा-4702-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000 10000	0 0	0 0	0 13000	0 169500	0 28000	0 60000	0 0	5000 280500

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		04-यात्रा व्यय	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	09-विद्युत देय	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	49-चिकित्सा व्यय	योग
8	बिजनौर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	0 15000	28000 28000	25000 25000	2000 20000	27271 196771	125000 125000	5000 85000	0 0	212271 494771
9	बदायूं-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	0 0	10000 10000	15000 15000	2000 15000	27271 196771	10000 10000	5000 85000	0 0	69271 331771
10	मुरादाबाद-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	0 80000	0 3000	38100 46100	2000 72000	27271 217771	97000 193400	0 110000	0 50000	164371 772271
11	शाहजहांपुर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	4000 8000	75000 75000	23000 35000	2000 22000	27271 196771	0 0	0 80000	0 0	131271 416771
12	रामपुर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	0 15000	0 0	6000 6000	2000 16000	27271 196771	30000 30000	0 70000	27096 27096	92367 360867
13	फर्रुखाबाद-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	0 5000	33000 33000	396955 518955	0 8000	27271 196771	5720 5720	0 60000	0 0	462946 827446
14	इटवा-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	0 5000	50000 50000	28000 40000	0 8000	27271 196771	0 0	0 70000	0 0	105271 369771
15	कानपुर नगर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	0 30000	0 3000	162907 162907	2000 40000	27271 217771	0 0	0 95000	0 0	192178 548678
16	फतेहपुर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	0 25000	40000 40000	200000 250000	0 8000	0 169500	0 0	0 60000	0 0	240000 552500
17	इलाहाबाद-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	10800 46600	0 3000	0 0	0 27000	27271 237771	0 0	0 110000	0 0	38071 424371
18	झाँसी-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	10000 30000	52000 55000	40000 40000	0 13000	0 190500	0 0	0 60000	0 0	102000 388500
19	जालौन-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	0 10000	0 0	152807 164807	0 20000	27271 196771	78000 78000	0 60000	0 0	258078 529578
20	हमीरपुर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	0 0	35000 35000	2300 2300	0 8000	0 169500	13760 13760	0 60000	0 0	51060 288560

